न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रतनगढ जिला चूरू

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. गौरव सैनी, आई.ए.एस.

मुकदमा संख्या:– दावा संख्या 07/2018

निर्णय दिनांक :– 20.1.2020

1. मनफुल
2. नोपाराम
3. चेनाराम
4. गिरधारीलाल
5. भेभाराम
6. लालाराम

पुत्रगण डूंगाराम जाति जाट बिरड़ा निवासी ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

... वादीगण

बनाम

1. श्रीमती इदिंरादेवी धर्मपत्नी स्व. शेराराम जाति जाट निवासीनी ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
2. लिछमणराम
3. छगनलाल
4. नानुराम

पुत्रगण स्व. शेराराम जाति जाट नि0 ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ जिला चूरू

5. श्रीमती अर्जुनदेवी पत्नी स्व. कुनणाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
6. धन्नाराम
7. चेतनराम
8. रूपाराम

पुत्रगण स्व. कुनणाराम पुत्र शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ

9. श्रीमति मंजू पुत्री स्व. कुनणाराम पुत्र स्व. शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम देराजसर तहसील रतनगढ
10. श्रीमती लिछमादेवी पुत्री शेराराम पत्नी बेगाराम जाति जाट निवासी चारणवासी त. रतनगढ
11. श्रीमती भगवानीदेवी पत्नी समदरराम पुत्री शेराराम जाति जाट निवासी खुडेरा छोटा तहसील रतनगढ
12. श्रीमती पानादेवी पत्नी रामलाल पुत्री शेराराम जाति जाट निवासी ग्राम भींचरी तहसील रतनगढ
13. श्रीमती मूलीदेवी पत्नी कानाराम जाति जाट निवासीनी ग्राम गोलसर तहसील रतनगढ

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

14. श्रीमती लालीदेवी पत्नी डूंगरराम जाति जाट निवासी ग्राम गोलसर तहसील रतनगढ जिला चूरू
15. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रतनगढ

.....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

1. श्री परमानन्द भांम्बू अभिभाषक वादी
2. श्री भवानीसिंह चारण अभिभाषक प्रतिवादीगण 1 ता 9 व 11 ता 14
3. पैरोकार राज

दावा घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88, 188व 209 आर.टी.एक्ट 1955

निर्णय

1. वादी की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 88,188 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती हेतु दिनांक 12.3.2018 को प्रस्तुत किया गया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।
2. दावा वादी का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि शेराराम पुत्र मालाराम जाति जाट निवासी ग्राम देराजसर की खातेदारी व उपयोग उपभोग के दो खेत ख.नं. 251 तादादी 23 बीघा 10 विश्वा व खसरा नं. 242 तादादी 28 बीघा 09 विश्वा रोही ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ में स्थित थी। शेराराम का देहान्त हो गया। इनके चार पुत्रगण व 03 लड़कियां एवं शेराराम की विधवा पत्नी है। शेराराम के एक पुत्र कुनणाराम का देहान्त हो गया है, जिनके वारिसान में प्रतिवादी सं. 5 ता 9 के रूप में तथा पत्नी व पुत्र पुत्रियों को प्रतिवादी सं. 1ता 4 व 10 से 12 है।
3. वादीगण ने विक्रेता शेराराम से ख.नं. 251 तादादी 23 बीघा 10 विश्वा व खेत ख.नं. 242 तादादी 28 बीघा 09 विश्वा कुल तादादी 51 बीघा 19 विश्वा वाके रोही ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ में से 25 बीघा 19 विश्वा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2002 को खरीद किया था। तब से आज दिन तक वादीगण का कब्जा काश्त व उपयोग उपभोग ख.नं. 251 सम्पूर्ण व ख.नं. 242 की 02 बीघा 09 विश्वा भूमि पर चला आ रहा है। विक्रय पत्र पर्जीयन करवाते समय लिपिकीय भूल से ख.नं.

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)

Scanned by CamScanner

251 अकिंत नही किया गया जबकि वास्तव में वादीगण ने शेराराम से खेत ख.नं. 251 व 242 की भूमि खरीद की थी।

4. वादीगण के भूमि खरीद करने के बाद शेराराम ने अपने जीवनकाल में ही खेत ख.नं. 242 तादादी 28 बीघा 09 विश्वा में से 13 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 13 मूलीदेवी को दिनांक 12.09.2005 को तथा 13 बीघा भूमि प्रतिवादी सं. 14 लालीदेवी को दिनांक 12.9.2005 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय करदी थी जिन पर प्रतिवादी सं. 13 व 14 का कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है।
5. वादीगण कृषिपेशा व ग्रामीण अंचल में रहने वाले है, उन्हे कानूनी प्रकिया का पूर्ण ज्ञान नही है। वादीगण ने जब पटवारी को विक्रय पत्र दिनांक 28.1.2002 की प्रतिलिपि प्रस्तुत कर खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने का निवेदन किया तो उन्होने 251 की भूमि का हवाला नही होने के कारण दर्ज नही हो सकती दुरूस्ती करवाकर खातेदारी दर्ज करवाने का कहा। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 12 से निवेदन करने पर उन्होने भी प्रतिवादी सं. 15 से खातेदारी दर्ज कराने का कहा तो उन्होने भी इन्कार कर दिया।
6. प्रतिवादी सं. 13 व 14 ने भी प्रतिवादी सं. 1 ता 12 के पति व पिता व ससूर स्व0 शेराराम से दिनांक 28.1.2002 को वादगत भूमि खरीद की थी, जिसका नामान्तरकरण सं. 455 व 456 खोला जाकर खातेदारी दर्ज करदी है। इसलिए उन्हे पक्षकार बनाया गया है।
7. प्रतिवादी सं. 15 तहसीलदार से खातेदारी दुरूस्त कर दर्ज करने का निवेदन किया तो दिनांक 28.2.2018 को साफ इन्कार हो गये जिससे वादीगण को वादाधार प्राप्त है।
8. अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर खेत ख.नं. 251 तादादी 23 बीघा 10 विश्वा व ख.नं. 394/242 तादादी 2 बीघा 09 विश्वा कुल 25 बीघा 19 विश्वा रोही ग्राम हंसासर की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कर वादीगण के नाम घोषित की जावे जिसके वो अधिकारी है। प्रतिवादी सं. 15 को वादगत भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान किया जावे।
9. प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 9 व 11 से 14 की ओर से दिनांक 29.1.2019 को ईकबाल दावा प्रस्तुत कर दावे की मदो को स्वीकार किया है। प्रतिवादी सं. 10 की ईन्कारी के,

उप खण्ड अधिकारी
रतनगढ (चरू)

Scanned by CamScanner

कारण दिनांक 29.1.2019 को ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। राज पैरोकार की ओर से कोई राज्यहित नही होना जाहिर किया गया तथा कोई आपति जाहिर नही की गई है।

10. वादीगण की ओर से मुख्य शपथ पत्र बयान वादी भेभाराम व लालाराम व नकल जमाबन्दी संम्वत 2053 से 2056 प्रदर्श 01, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 2, नकल जमाबन्दी सं. 2069–72 प्रदर्श 3, व प्रदर्श 4, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 28.01.2002 प्रदर्श 5, फोटो प्रति विक्रय पत्र दिनांक 12.9.2005 लालीदेवी प्रदर्श 6, विक्रय पत्र फोटो प्रति दिनांक 12.9.2005 मुलीदेवी प्रदर्श 7 वादगत खसरों की प्रस्तुत की है

11. बहस विद्वान अभिभाषक वादी एवं पैरोकार राज सुनी गई। पत्रावली एवं राजस्व रेकार्ड का भलिभातीं अवलोकन किया गया। सं. 2053 की जमाबन्दी में शेराराम वल्द मालाराम के नाम से ग्राम हंसासर की रोही में ख.नं. 242 तादादी 28 बीघा 09 विश्वा तथा ख.नं. 251 तादादी 23 बीघा 10 विश्वा कुल तादादी 51 बीघा 19 विश्वा भूमि दर्ज रेकार्ड है। शेराराम की मृत्यू हो चुकी है। शेराराम ने अपने जीवनकाल में विक्रय पत्र दिनांक 28.1.2002 के द्वारा 25 बीघा 19 विश्वा व विक्रय पत्र दिनांक 12.9.2005 के द्वारा 13.00 बीघा भूमि मूलीदेवी तथा 13.00 बीघा भूमि लालीदेवी को विक्रय की है। इस प्रकार खातेदार शेराराम द्वारा सम्पूर्ण कुल 51 बीघा 19 विश्वा भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं 13 व 14 को विक्रय करदी गई। प्रतिवादीगण सं. 13 व 14 का नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये नामान्तरकरण संख्या 455 व 456 के द्वारा दर्ज होकर ख.नं. 392/242 व 393/242 में दर्ज हो चुके है। स्व. शेराराम जो वादगत भूमि का विकेता रहा है, उसके वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 12 है जिनमें से प्रतिवादी संख्या 10 अनुपस्थित रही है तथा शेष प्रतिवादीगण सं. 1 ता 9 व 11 व 12 की ओर से न्यायालय में उपस्थित होकर दिनांक 29.1.2019 को ईकबालदावा प्रस्तुत कर वादीगण के दावे का समर्थन किया है।

समस्त प्रकरण पर मनन करने से पाया गया कि स्व.शेराराम द्वारा वादीगण को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 28.1.2002 को ख.नं. 242 तादादी 28 बीघा 10 विश्वा में से 25 बीघा 19 विश्वा भूमि रोही ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ विक्रय की गई है। विक्रय पत्र में आसापासा भी अकिंत किया गया है, जिसमें ख.नं. 242 के आसापासा का स्पष्ट अकंन है। वादीगण का यह कथन मानने योग्य नही है कि.

Scanned by CamScanner

भूलवश ख.नं. 251 का अकंन विक्रय पत्र में नही किया गया था। ख.नं. 251 वादीगण के नाम घोषणा का कोई आधार नही है। विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से ख.नं. 242 का विक्रय किया जाना अकिंत है। इस प्रकार वादीगण का दावा स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

दावा वादीगण बाबत घोषणात्मक एवं रेकार्ड दुरूस्ती खेत ख.नं. 251 तादादी 23 बीघा 10 विश्वा व ख.नं. 242 तादादी 2 बीघा 09 विश्वा कुल तादादी 25 बीघा 09 विश्वा रोही ग्राम हंसासर तहसील रतनगढ खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करेगें।

आदेश आज दिनांक 20.1.2020 को बसरे ईजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. गौरव सैनी)
उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
रतनगढ़ (चूरू)
रतनगढ (चूरू)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Gaurav Saini
Date: 2020.02.02 15:05:27 IST
Reason: SelfAttested
Location: